

भारत सरकार  
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय  
शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001 (फैक्स: 23389985)

सं.ओ-27011/22/2015-ओएनजी-II (भाग)

दिनांक: 23 नवंबर, 2015

सेवा में

1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, ओएनजीसी, नई दिल्ली
2. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, गेल, नई दिल्ली
3. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, ओआईएल, नोएडा।

**विषय: - छोटे / पृथक क्षेत्रों से घरेलू गैस का आबंटन - स्पष्टीकरण - के संबंध में ।**

\*\*\*\*\*

महोदय,

मुझे इस मंत्रालय के दिनांक 8 जुलाई, 2013 के समसंख्यक पत्र के संदर्भ में यह कहने निदेश हुआ है कि पूर्वोत्तर के ग्राहकों की कठिनाइयों को देखते हुए, सक्षम प्राधिकारी ने पूर्वोत्तर क्षेत्रों के संबंध में पैरा 3 (x) में उल्लिखित 90 दिनों की अवधि को एक वर्ष तक बढ़ाने का अनुमोदन दे दिया है। अन्य क्षेत्रों के संबंध में, 90 दिनों की अवधि अपरिवर्तनीय रहेगी।

इसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

हस्ता./-

(एस.पी. अग्रवाल)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 23388652

प्रतिलिपि: - तकनीकी निदेशक एनआईसी, एमओपी एंड एनजी को मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।

प्रतिलिपि इन्हें भी: एल-16016/2/2011-जीपी